अनुसूची-I

SCHEDULE I

ड्यूटी पास

DUTY PASS

अनुसूची-I

देखें नियम-5

ड्यूटी पास

प्रवर्ग	पास की किस्म जिसका हकदार है	हकदारी की शर्तें
1	2	3
I. ड्यूटी पर		
(1) ग्रुप "क" और "ख" अधिकारी		
(क) रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जिसमें रेल वित्त आयुक्त और ऐसे अधिकारी जो समान ग्रेड और स्तर के हों, रेलवे सुरक्षा के लिए मुख्य आयुक्त और रेलवे के महाप्रबन्धक, भारतीय रेल उत्पादन इकाइयां और स्थापन इत्यादि जो 7300-8000 रुपये के वेतनमान में हो एवम् सलाहकार जो रेलवे बोर्ड में 7300-7600 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं।	"स्वर्ण पास"	स्वर्ण पास का धारक अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ यात्रा करते समय भारतीय रेलों पर किसी भी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है। **टिप्पणी.**—कुटुम्ब के साथ यात्रा करते समय किसी स्वर्ण पास धारक (क) प्रथम वातानुकूलित श्रेणी की दो से अधिक शायिकाएं, और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी की दो शायिकाएं (ख) प्रथम वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी की अधिक से अधिक चार शायिकाएं ले सकेगा। प्रथम वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी कूपे के मामले में कुत्ते को ले जाने की अनुमति अन्य रूप से होगी।
(ख) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रेलवे के और रेलवे बोर्ड में अथवा रेल प्रशासन के विभागाध्यक्ष।	"रजत पास"	धारक को भारतीय रेलों पर अकेले किसी भी श्रेणी में या अपने कुटुम्ब के साथ प्रथम वातानुकूलित श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी अथवा प्रथम वातानुकूल श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी शयनयान के बीच किराए के अन्तर का एक तिहाई देकर प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में इस बात के अधीन रहते हुए यात्रा करने का हकदार बनाता है कि वह अधिक से अधिक चार शायिकाओं का आरक्षण करा सकता है।
(ग) रेल मंत्रालय और रेलवे प्रशासन के वे सभी अधिकारी जो ऊपर (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों से भिन्न है और प्रशासनिक श्रेणी में 4500/- रुपये या इससे अधिक मूल वेतन ले रहे हैं।	"कांस्य पास"	धारक को भारतीय रेलों पर अकेले किसी भी श्रेणी में या अपने कुटुम्ब के साथ प्रथम वातानुकूलित श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी अथवा प्रथम वातानुकूलित श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी शयनयान के बीच किराए के अन्तर का एक तिहाई देकर प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में इस बात के अधीन रहते हुए यात्रा करने का हकदार बनाता है कि वह अधिक से अधिक चार शायिकाओं का आरक्षण करा सकता है। बहरहाल, ड्यूटी पर रहते हुए प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित प्राधिकार पत्र जारी किया जाना चाहिए।

1	2	3
		..........................रेलवे में..........................दिनांक.......................... अहस्तान्तरणीय श्री/श्रीमती.......................... पद.......................... ड्यूटी पर रहते हुए कांस्य पास सं.......... का धारक बिना अतिरिक्त प्रभार का भुगतान किए प्रथम वातानुकूल श्रेणी में (स्वयं) यात्रा के लिए पात्र है। कृते महाप्रबन्धक, ...रेलवे जब ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो, तो अधिकारी द्वारा अपने पास यह प्राधिकार रखना चाहिए। जारी कर्त्ता प्रधिकारी को इस प्रयोजन के लिए एक रजिस्टर रखना चाहिए जिसमें पर्ची को जारी करने के प्रत्येक ऐसी प्रधिकार की प्रविष्टि की जानी चाहिए। **टिप्पणी** : उपर्युक्त प्राधिकार के खो जाने की स्थिति में किसी जुर्माने का भुगतान किए बिना प्राधिकार की दूसरी प्रति जारी की जाएगी, प्रधिकार पत्र पर "दूसरी प्रति" पृष्ठांकन किया जाएगा।
(घ) ऊपर (क) से (ग) तक में वर्णित अधिकारियों को छोड़कर रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन के सभी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी।	"कांस्य पास"	धारक को भारतीय रेलों पर अपने कुटुम्ब के साथ प्रथम वातानुकूल श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी में इस बात के अधीन रहते हुए यात्रा करने का हकदार बनाता है कि वे अधिक से अधिक चार शायिकाओं का आरक्षण करा सकता है।
(ङ) ऊपर (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अधिकारियों से भिन्न रेल प्रशासन के अधिकारी।	"कांस्य पास"	धारक को अपनी क्षेत्रीय रेल पर अकेले या अपने कुटुम्ब के साथ वातानुकूल श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी में इस बात के अधीन रहते हुए यात्रा करने का हकदार बनाता है कि वह अधिक से अधिक चार शायिकाओं का उपयोग कर सकेगा।

1	2	3
(च) ऊपर (क) से (घ) तक में वर्णित अधिकारियों से भिन्न रेल मंत्रालय के वे अधिकारी जिनकी ड्यूटी ऐसी है कि उन्हें बार-बार यात्रा करना आवश्यक है।	"प्रथम श्रेणी "क" के लिए कार्ड पास"	धारक को भारतीय रेलों पर प्रथम वातानुकूल श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी में अकेले या अपने कुटुम्ब के साथ उन स्टेशनों के बीच उस अवधि के लिए जो ऐसे पास में दी गई हैं, यात्रा करने का इस बात के अधीन रहते हुए हकदार बनाता है कि वह अधिक से अधिक चार शायिकाओं का उपयोग कर सकेगा।
(छ) रेल स्थापना और रेल मंत्रालय के सभी अन्य अधिकारी।	"प्रथम श्रेणी "क" के लिए चैक पास"	धारक को भारतीय रेलों पर प्रथम वातानुकूल श्रेणी से भिन्न किसी भी श्रेणी में अकेले या अपने कुटुम्ब के साथ उन स्टेशनों के बीच उस अवधि के लिए जो ऐसे पास में दी गई है, यात्रा करने का इस बात के अधीन रहते हुए हकदार बनाता है कि वह अधिक से अधिक चार शायिकाओं का उपयोग कर सकेगा।
(2) ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" रेल अधिकारी	(क) उसी श्रेणी के लिए "कार्ड पास" जिसके लिए रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है परन्तु तब जब उसकी ड्यूटी ऐसी हो कि उसे बार-बार यात्रा करनी जरूरी हो। (ख) उसी श्रेणी के लिए "चैक पास" जिसके लिए रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है।	रेल सेवक को अकेले उन स्टेशनों की उस अवधि के लिए जो कार्ड पास में दी गई है, यात्रा करने का हकदार बनाता है।

II. पास सम्बन्धी सामान्य नियम

(1) परिवार के लिए वापसी पास यदि "क" और "ख" श्रेणी के रेल सेवकों को अपना दौरा संक्षिप्त करना अपेक्षित हो और/या हवाई जहाज द्वारा या किसी अन्य तरीके से अपने परिवार को पीछे छोड़ते हुए मुख्यालय पहुंचना हो तो उसे अपने परिवार के लिए सुविधा के लेखे पर उसी श्रेणी के वापसी यात्रा पास की अनुमति होगी ताकि उसका परिवार वापस मुख्यालय पहुंच सके।

(2) ड्यूटी पास में श्रेणी "क" में परिवीक्षाधीन के परिवार को तब ही शामिल किया जाए जब वे परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षण के विभिन्न स्थानों पर आने जाने में उसके साथ हों।

(3) (क) इन नियमों के प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड का "सदस्य" जिसमें अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और रेलों के वित्त आयुक्त भी शामिल हैं जब भी शामिल हैं जब भी ड्यूटी पर यात्रा करेंगे उनके एकमात्र उपयोग के लिए एक मानक आमान सैलून प्रदान किए जाने के हकदार होंगे।

(3) (ख) जब सदस्य स्वर्ण पास पर अपने सैलून में यात्रा कर रहे है तो उनका परिवार (पत्नी और बच्चे परन्तु अन्य कोई आश्रित नहीं) उनके साथ उनके सैलून में यात्रा कर सकता है।

(3) (ग) रेलवे अधिकारी के साथ उनके सैलून/निरीक्षण गाड़ी में सदाशायी सेवकों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति पहली श्रेणी की टिकट खरीद कर रेलवे को सामान्य किराए का संदाय करेगा और सैलून में की गई यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ते के लिए प्रत्येक बिल में संबंधित अधिकारी को उसके साथ यात्रा कर रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करनी चाहिए और उनके द्वारा खरीदी गई आवश्यक टिकटों को प्रमाणित करना चाहिए।

(3) (घ) सैलून की ढुलाई की समग्र लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी यदि रेलवे अधिकारी उसके निजी कर्मचारी या सामान के अतिरिक्त आवास चाहता है तो उसके खर्चे पर ऐसे आवास के लिए ढुलाई और अन्य प्रभार होंगे।

(4) ड्यूटी पर साइकिल/मोटर साइकिल के संबंध में व्यवस्था : ड्यूटी चैक/कार्ड/धातु पास में साइकिल/मोटर साइकिल की अनुमति तभी दी जाएगी बशर्ते कि पास जारी करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ड्यूटी पास में साइकिल/मोटर साइकिल का समावेश सरकारी काम के हित में न्याय संगत है।

(5) नीलगिरी और दार्जिलिंग हिमालयन रेलों पर यात्रा करने के संबंध में प्रतिबंध अप्रैल, मई और जून माह के दौरान नीलगिरी रेलवे के लिए रेलवे के श्रेणी "क" और "ख" के अधिकारियों को छोड़कर ड्यूटी पास स्वीकार नहीं किए जाएगें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के दार्जिलिंग हिमालयन खंड के लिए डयूटी चैक/कार्ड/धातु पासों में साइकिल/मोटर साइकिल की अनुमति नहीं है।

(6) ड्यूटी के दौरान श्रेणी "क" और "ख" के अधिकारी कालका-शिमला सेक्शन पर रेल कार में यात्रा करने के हकदार है।

(7) ड्यूटी कार्ड पासों के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए :—

(i) "एक क्लर्क" या "एक निरीक्षक" के रूप में कर्मचारी के उपयोग के लिए उपलब्ध सामान्य ड्यूटी कार्ड पास जारी नहीं किए जाने चाहिए।

(ii) जहां कहीं अनिवार्य हो, ड्यूटी कार्ड पास में व्यक्ति विशेष के नाम में जिसे बार-बार यात्रा करनी अपेक्षित है, विधिवत् मुहर सहित कार्ड पास पर पासपोर्ट के आकार की फोटो लगाकर उसके नाम में जारी किया जाए।

(iii) जहां कहीं ड्यूटी कार्ड पास पर आरक्षण किया गया है आरक्षण कार्यालय को कार्ड पास में प्रविष्टि करनी चाहिए पास धारक को कार्ड पास के साथ संलग्न अनुबन्ध में यात्रा के ब्यौरे भी दर्शाने चाहिए। ऐसा न करने पर उसकी यात्रा को विधि मान्य प्रधिकार के बिना माना जाएगा।

(iv) नियंत्रण अधिकारी को संबंधित कर्मचारी के यात्रा भत्ते के बिल पर प्रति हस्ताक्षर करते समय कार्ड पास के अनुबन्ध में प्रविष्टि की जांच करेगा और यात्रा भत्ते के बिल में यह प्रमाण-पत्र देगा कि प्रविष्टियां कार्ड पास से मिला लिए गए हैं।

(v) टिकट जांच करने वाले कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड पास पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने कार्ड पास के साथ संलग्न अनुबन्ध में यात्रा का ब्यौरा दर्शाया है।

(8) ड्यूटी पर यात्रा करने वाले रेलवे कर्मचारी को, ड्यूटी पर अधिकारी के साथ उनके परिवार के सदस्यों सहित कुछ तीव्र गति एक्सप्रेस गाड़ियों में उदग्रहणीय पूरक अधिभार के भुगतान की छूट है।

(9) जब भी रेल सेवक धातु, प्रथम "क" और प्रथम श्रेणी ड्यूटी पासों पर यात्रा कर रहा है, उसे दूसरी श्रेणी में निःशुल्क एक परिचर ले जाने की अनुमति है।

टिप्पणी.— (1) ड्यूटी पास, ड्यूटी की अवधि के क्रम में ली गई आकस्मिक छुट्टी के अलावा अन्य छुट्टी को दौरान स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(2) जब कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की छुट्टी पर हो या स्थानान्तरण पर या जब उन्हें सेवा से बरखास्त या हटा दिया या कार्यमुक्त कर दिया गया है धातु पास/ड्यूटी पास जैसी स्थिति हो कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित कर दिए जाने चाहिए।

(3) ड्यूटी पर बिजली की मोटर गाड़ियों के कैब्स द्वारा यात्रा करने के लिए डयूटी कार्ड पासों पर आवश्यक पृष्ठांकन किया जाएगा।

III. ड्यूटी के दौरान राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करने की हकदारी

प्रवर्ग	हकदारी की शर्तें
1	2
(1) स्वर्ण पास धारक	धारक अकेला या अपने परिवार के साथ प्रथम वातानुकूलित के कूपे में यात्रा कर सकता है या प्रथम वातानुकूलित श्रेणी की दो शायिकाएं ले सकता है।
(2) रजत पास धारक	धारक प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में अकेला यात्रा करने का हकदार है या वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में दो शायिकाएं ले सकता है।
(3) धातु और प्रथम "क" पास धारक, जो 4500 रु. या उससे अधिक मूल वेतन ले रहा है।	धारक प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में अकेला यात्रा करने का हकदार है या वातानुकूलित शयनयान श्रेणी में दो शायिकाएं ले सकता है।
(4) धातु और प्रथम "क" पास धारक जो 3700 रु. या उससे अधिक परन्तु 4500 रु. से कम मूल वेतन ले रहा है।	वातानुकूलित कुर्सीयान में दो सीटें।
(5) धातु और प्रथम "क" पास धारक जो 3700 रु. से कम मूल वेतन ले रहा है और अन्य प्रथम श्रेणी के पास धारक।	वातानुकूलित कुर्सीयान में एक सीट।

IV. ड्यूटी के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस से यात्रा करने की हकदारी

प्रवर्ग	हकदारी की शर्तें
1	2
(1) स्वर्ण पास धारक	धारक अकेले या अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकता है और प्रशासी श्रेणी/ वातानुकूलित कुर्सीयान में चार सीटें तक ले सकता है।
(2) रजत पास धारक	धारक प्रशासी (एग्जीक्यूटिव) श्रेणी/वातानुकूलित कुर्सीयान में दो सीटें ले सकता है।
(3) धातु और प्रथम "क" पास धारक, जो 4500 रु. या उससे अधिक मूल वेतन ले रहा है।	धारक प्रशासी (एग्जीक्यूटिव) श्रेणी में एक सीट और वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी में दो सीटें ले सकता है।
(4) धातु और प्रथम "क" पास धारक जो 3700 रु. या उससे अधिक परन्तु 4500 रु. से कम मूल वेतन ले रहा है।	धारक वातानुकूलित कुर्सीयान में दो सीटें ले सकता है।
(5) धातु और प्रथम "क" पास धारक जो 3700 रु. से कम मूल वेतन ले रहा है और अन्य प्रथम श्रेणी के पास धारक।	धारक वातानुकूलित कुर्सीयान में केवल एक सीट ले सकता है।

V. स्थानातरण पर पास

प्रवर्ग	पास की किस्म	सामान्य नियम
1	2	3
(1) ग्रुप "क" और "ख"	(1) चैक पास स्थानान्तरण के स्टेशन तक सुविधा खाते पर उस श्रेणी जिसका वह हकदार है के लिए इन नियमों के 2 (ग) नियम में परिभाषित अनुसार स्वयं अपने लिए, कुटुम्ब और आश्रित संबंधी के लिए चैक पास इस प्रयोजन के लिए यदि रेल सेवक का पिता उनके साथ रहता है और रेल सेवक के ऊपर पूर्णतया आश्रित है तो उनको भी शामिल किया जाएगा। बहरहाल 4500 रु. प्रतिमाह या उससे अधिक मूल वेतन लेने वाले प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी केवल अपने लिए प्रथम वातानुकूलित श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी और वातानुकूलित शयनयान के बीच किराए के अन्तर का भुगतान किए बिना प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (2) उसकी निजी चीजों के परिवहन के लिए निम्नलिखित मापमान पर सामान पास दिया जाएगा :— **(क) 1-5-1976 से पूर्व नियुक्त अधिकारियों के लिए :** स्थानान्तरण के स्टेशन तक या किसी अन्य स्टेशन तक जो पुराने स्टेशन और निम्न-लिखित मापमानों पर स्थानान्तरण के स्टेशन के बीच की दूरी से अधिक न हो :— (क) मालगाड़ी द्वारा दो माल डिब्बों, एक मोटर मालडिब्बा (चार पहिए वाला) और एक पशु मालडिब्बा/घोड़ों का डिब्बा; या यात्री गाड़ी द्वारा एक मोटर और पार्सल वैन/आठ पहिए वाला) और एक पशु मालडिब्बा/घोड़ों का डिब्बा; या स्थानान्तरण के स्टेशन तक एक पशुओं का मालडिब्बा/और एक मोटर माल डिब्बा (चार पहिए वाला) और मालगाड़ी से एक मालडिब्बा और किसी अन्य स्टेशन तक या किसी अन्य स्टेशन से स्थानान्तरण के स्टेशन जो पुराने स्टेशन और स्थानांतरण के स्टेशन के बीच की दूरी से अधिक न हो एक मालडिब्बा।	जब इसमें वर्णित ग्रुप "क" "ख" "ग" या "घ" के किसी रेल सेवक को :— (1) अल्प सूचना पर स्थानान्तरण पर जाने का आदेश दिया है तब उसकी बर्हियात्रा और आवक यात्रा के लिए विशेष पास का एक सैट उसके स्वयं के तथा उसके परिवार के लिए वापसी यात्रा के लिए एक पृथक स्थानान्तरण पास जारी किया जाएगा और इसकी गणना सुविधा पास खाते में की जाएगी। (2) अल्प सूचना पर स्थानान्तरित किया जाता है उसके लिए समस्त परिवार को ले जाना संभव नहीं है तब उसे और उसके परिवार के उन सदस्यों का जो पहले पहल उसके साथ जाने की स्थिति में है, एक पास जारी किया जा सकेगा और दूसरा पास पीछे रह जाने वाले परिवार के शेष सदस्यों के लिए जारी किया जा सकेगा, इन दोनों पासों की गणना एक स्थानान्तरण पास के रूप में की जाएगी; (3) स्थानान्तरित किया जाता है, तब वह अपना वाहन स्वामी के जोखिम पर निम्न लिखित मापमानों के अनुसार निः शुल्क ले जाने का हकदार है :— (क) यदि वह 1900 रु. प्रतिमास या उससे अधिक वेतन ले रहा है। — एक मोटरकार या एक मोटर साइकिल/स्कूटर या एक घोड़ा। (ख) यदि वह 1900 रु. प्रतिमाह से कम वेतन ले रहा है। — एक मोटर साइकिल या एक साइकिल। **टिप्पणी :** (i) राजपत्रित अधिकारी जो स्वर्ण पास के हकदार है जिसे तैनाती के स्थान पर हवाई जहाज द्वारा तत्काल स्थानान्तरण पर ड्यूटी पर कार्यभार ग्रहण करना अपेक्षित है या अधिकारी द्वारा हवाई यात्रा के पूर्व या उसके बाद उसके परिवार को प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में अधिभार का भुगतान किए बिना एक शायिका दी जाएगी।

1	2	3
	(ख) ऐसे रेलवे कर्मचारी सामान्य अंतरण अनुदान के 75% तक पाने का हकदार होंगे। (ग) एक कुत्ता ले जाने के लिए भी पास जारी किया जाएगा। **(ख) 1-5-1976 को या उसके बाद नियुक्त अधिकारियों के लिए :—** (क) जो 5100 रु. और उससे अधिक मूल वेतन ले रहे हैं :— मोटर कार के लिए पूरा चार पहिए वाला मालडिब्बा और एक चार पहिए वाला मालडिब्बा। या 6000 किलोग्राम मालगाड़ी द्वारा और मोटर कार के लिए चार पहिए वाला मालडिब्बा। या मोटर कार के लिए एक डबल कंटेनर और एक चार पहिए वाला मालडिब्बा। या ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी कार का मालिक है अंतरण अनुदान में 25 प्रतिशत की कटौती के अध्यधीन एक पार्सल वैन (आठ पहिए वाला)। या ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी कार का मालिक नहीं है अन्तरण अनुदान में 30% की कटौती के अध्यधीन एक पार्सल वैन (आठ पहिए वाला)। (ख) जो 2800 रु. और उससे अधिक, परन्तु 5100 रु. से कम मूल वेतन ले रहे हैं।	(ii) मोटर कार ले जाने की दशा में एक शोफर या क्लीनर सामान पास में सम्मिलित किया जा सकेगा। (iii) एक अनुज्ञात मोटर कार या मोटर साइकिल रेल सेवक के विकल्प पर सवारी गाड़ी या मालगाड़ी से ले जाई जाएगी। (iv) जहां रेल सेवक नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य मालडिब्बों के आबंटन को न्यायसंगत ठहराने के लिए पर्याप्त घरेलू चीजों की ऐसी मात्रा, जो कि वास्तव में वाहित करनी अपेक्षित है, के लिए निः शुल्क पास जारी किए जाने चाहिएं। (v) कर्मचारियों के अपने अनुरोध पर अथवा आपसी अदला-बदली के मामलों में स्थान्तरण पास जारी किये जाएंगे। जहां स्थान्तरण की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी यह समझता हो कि नियम 1642-आर-II के तहत स्थानान्तरण सार्वजनिक हित में है और इस आशय के विशिष्ट कारणों को वह लिखित रूप में दर्ज करेगा। (vi) प्रशिक्षण के लिए परिवीक्षार्थी का एक स्टेशन से दूसरे पर स्थान्तरण होने पर केवल एक मालडिब्बे के लिए सामान पास दिया जाएगा और किसी कार वैन की अनुमति नहीं होगी। (vii) सामन पास स्थानान्तरण की तारीख के बाद एक महीने से पहले नहीं और छह महीने के बाद नहीं दिए जाएंगे विपत्ति के उचित मामलों में छह महीने की सीमा बोर्ड/महाप्रबन्धक विभागाध्यक्ष द्वारा बढ़ाई जाएगी। (viii) यदि रेल सेवक के परिवार का कोई सदस्य उसके जाने के छह महीने के भीतर या उसके जाने के एक महीने पहले पहुंचता है तो ऐसे सदस्य के संबंध में निः शुल्क पास दिए जाएंगे।

1	2	3
	पूरा चार पहिए वाला मालडिब्बा और मोटर कार के लिए एक चार पहिए वाला मालडिब्बा या 6000 किलोग्राम मालगाड़ी द्वारा मोटर कार के लिए एक चार पहिए वाला माल डिब्बा या एक सिंगल कंटेनर और मोटर कार के एक चार पहिए वाला मालडिब्बा या ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी कार का मालिक है अंतरण अनुदान में 25% की कटौती अध्यधीन एक पार्सल वैन (आठ पहिए वाला) या ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी कार का मालिक नहीं है अंतरण अनुदान में 30% की कटौती अध्यधीन एक पार्सल वैन (आठ पहिए वाला)	रेलवे बोर्ड महाप्रबन्धक या महाप्रबन्धक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी या वह अधिकारी जिसे ये शक्तियों रेलवे बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन के साथ प्रत्यायोजित की गई है या विभागाध्यक्ष/महाप्रबन्धक की शक्तियों करने वाली अधिकारी महाप्रबन्धक के नियंत्रणाधीन नहीं होंगे, द्वारा ये सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। (ix) विदेशों में विदेशी रेलों/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिए स्थानान्तरित रेलवे कर्मचारियों के स्थान्तरण पर जाने से पूर्व उनके मूल निवास (होम टाउन) में उनकी स्थिति के स्थान से उनकी घरेलू चीजों के परिवहन के लिए स्थानान्तरण के सामान के लिए कोई पास स्वीकार्य नहीं होगा।
(2) ग्रुप "ग"	(ग) एक कुत्ता ले जाने के वास्ते पास (1) चैक पास स्वंय के लिए, परिवार और आश्रितों के लिए स्थानांतरण के स्टेशन तक सुविधा खाते उस श्रेणी का जिसका वह हकदार है, चैक पास, जैसा उपर्युक्त ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" में दिया गया है, और (2) सामान पास **(क) 1-5-1976 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए :** (क) माल गाड़ी द्वारा एक मालडिब्बा और एक मोटर माल डिब्बा या घोड़ों का डिब्बा या पशुओं का मालडिब्बा। (ख) एक कुत्ता ले जाने के वास्ते पास	

1	2	3
	(ख) 1-5-1976 को या उसके बाद नियुक्त रेल कर्मचारियों के लिए :	
	(क) जो 2800 रु. या उससे अधिक मूल वेतन ले रहे हैं।	
	पूरा चार पहिए वाला मालडिब्बा और मोटर कार के लिए चार पहिए वाला मालडिब्बा	
	या	
	6000 किलोग्राम मालगाड़ी द्वारा और मोटर कार के लिए एक चार पहिए वाला मालडिब्बा	
	या	
	एक सिंगल कंटेनर और मोटर कार के लिए एक चार पहिए वाला मालडिब्बा	
	या	
	ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी कार का मालिक है, अंतरण अनुदान में 25% की कटौती के अध्यधीन एक पार्सल वैन (आठ पहिए वाला)	
	या	
	ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी कार का मालिक नहीं है अंतरण अनुदान में 30% की कटौती के अध्यधीन एक पार्सल वैन (आठ पहिए वाला)	
	(ख) जो 1900 रु. या उससे अधिक परन्तु 2800 से कम मूल वेतन ले रहे हैं।	
	3000 किलोग्राम मालगाड़ी द्वारा और मोटर कार के लिए एक चार पहिए वाला माल डिब्बा	
	(ग) जो 1100 रु. या उससे अधिक लेकिन 1900 रु. से कम	
	मालगाड़ी द्वारा 1500 कि.ग्रा.	
	(घ) 1100 रु. से कम	
	मालगाड़ी द्वारा 1000 कि.ग्रा.	
	(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) तक के मामलों में एक कुत्ता ले जाने के लिए भी पास की अनुमति होगी।	

1	2	3
(3) ग्रुप "घ"	(1) स्वंय के लिए, परिवार और आश्रितों के लिए स्थानान्तरण के स्टेशन तक सुविधा खाते की उस श्रेणी का, जिसका वह हकदार है, चैक पास जैसा ग्रुप "ग" कर्मचारियों के लिए परिभाशित है। (2) सामान पास **(क) 1-5-1976 से पुर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए :** (क) दस क्विटल सामान ले जाने के लिए सामान पास परन्तु जहां सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उस रेल सेवक के पास अधिक सामान है, वहां उसे मालगाड़ी द्वारा एक मालडिब्बे तक अधिक सामान के ले जाने के लिए सामान पास दिया जा सकेगा। (ख) एक कुत्ता ले जाने के वास्ते पास। **(ख) 1-5-1976 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए :** (क) जो 1100/- रु. या उससे अधिक मूल वेतन ले रहे हैं : 1500 किलोग्राम मालगाड़ी द्वारा (ख) 1100 रु. से कम : 1000 किलोग्राम मालगाड़ी द्वारा (ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर मामलों एक कुत्ता ले जाने के लिए भी पास जारी किया जाएगा। **टिप्पणी.**—सभी ग्रुपों के संबंध में 1-5-1976 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त में निर्धारित किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं तक घरेलू चीजों के यात्रा/पार्सल गाड़ी द्वारा निःशुल्क परिवहन की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे संचलन के लिए उसमें पर्याप्त क्षमता है और रेलवे की संभावित अर्जन प्रभावित न होती हो।	